प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

आपराधिक कृत्यों से अर्जित करीब पाँच लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क/जब्त

दिनांक 03.11.2022

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रामपुर मथुरा पुलिस द्वारा दिनांक 03.11.2022 को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर **गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करने जैसे आपराधिक कृत्य द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति को थाना रामपुर मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 367/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) आंकी गयी है।**

मु0अ0सं0 367/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त सिराज पुत्र जहूर निवासी ग्राम बांसुरा थाना रामपुर मथुरा सीतापुर द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करने जैसे अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है।

अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था व इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान सम्पत्ति खरीदी जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त एवम् उसके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरणः-

- अभियुक्त सिराज उपरोक्त के भाई वसी अहमद के नाम वाहन संख्या यूपी 41 एटी 1063 (पिकअप) अनुमानित कीमत करीब 5,00,000/- (पाँच लाख रूपए)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सिराज उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 285/17 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 367/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर।